नगर निगम की कंप्यूटर शाखा पर लोकायुक्त का छापा

संबल योजना और फर्जी बिलों की जांच, 10 साल के रिकॉर्ड खंगाले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में शुक्रवार को नगर निगम की कंप्यूटर शाखा और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े दफ्तरों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की।

यह कार्रवाई फतेहगढ़ स्थित कार्यालय और लिंक रोड नंबर-2 पर बने मुख्य कार्यालय में एक साथ की गई। लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर और डीएसपी अजय मिश्रा के नेतृत्व में दो अलग-अलग टीमों ने दोनों स्थानों पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद निगम दफ्तरों में हड़कंप मच गया। टीम ने सबसे पहले कंप्यूटर शाखा और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। नगर निगम की कंप्यूटर शाखा में संबल योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। लोकायुक्त टीम विशेष रूप से संबल योजना से जुड़े दस्तावेजों और ऑनलाइन एंट्री की पड़ताल कर रही है। साथ ही अन्य डिजिटल रिकॉर्ड में संभावित गड़बड़ियों की भी जांच की जा रही है। फतेहगढ़ कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों वसीम, सोहेल और पंकज से भी पूछताछ की जा रही है।

फर्जी भुगतान की शिकायत

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई निर्माण कार्यों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपये के भुगतान की शिकायत के बाद की गई है। बताया जा रहा है कि कई मामलों में बिना जमीनी काम के केवल कागजों पर बिल लगाकर भुगतान किए जाने की शिकायतें लोकायुक्त को मिली थीं। लोकायुक्त टीम ने शिकायतों के आधार पर पिछले लगभग 10 वर्षों के दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। अब इन दस्तावेजों का मिलान वास्तविक कार्यों

और भुगतान से किया जाएगा, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

नगर निगम की कंप्यूटर शाखा को 22 फरवरी को फतेहगढ़ से लिंक रोड नंबर-2 स्थित नए भवन में शिफ्ट किया गया था, इसलिए लोकायुक्त टीम दोनों स्थानों पर रखे दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही पूरे मामले में घोटाले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

पारदी दंपत्ति हत्याकांड में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित चौदह लोग दोषमुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई तहसील अंतर्गत ग्राम चौथिया में वर्ष 2008 में हुए पारदी दंपत्ति हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट (सांसद/विधायक विशेष अदालत) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कांग्रेस सरकार में पीएचई मंत्री रहे पूर्व विधायक सुखदेव पांसे तथा वर्तमान जिला पंचायत बैतूल के अध्यक्ष राजा पवार सहित 14 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

यह फैसला 21वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एमपी एवं एमएलए) स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने सुनाया। अदालत ने हत्या, आगजनी और दंगा भड़काने से जुड़े आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर सुखदेव पांसे समेत 14 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

घटनाक्रम के अनुसार वर्ष 2008 में मुलताई के पास चौथिया ग्राम में स्थित पारदी समुदाय के डेरे में आगजनी, तोड़फोड़ सहित अन्य हिंसक घटनाएं हुई थीं। समय बड़ी भीड़ ने पारदी बस्ती पर हमला कर करीब 62 मकानों को आग के हवाले कर

दिया था। घटना के बाद इलाके में काफी तनाव की स्थिति बन गई थी। घटना के दौरान पारदी समुदाय के बोंदरु पारदी और उसकी पत्नी का शव कुएं में पाए गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद 16 ग्रामीणों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था।

मामले में पीड़ित पक्ष के आलस्य पारदी ने पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर मप्र उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसके बाद 7 अगस्त 2009 को उच्च न्यायालय ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच के दौरान सीबीआई ने जबलपुर स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 82 लोगों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में कुछ अधिकारियों और राजनेताओं के नाम भी शामिल किए गए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।

मामले में वर्ष 2018 में सीबीआई सत्र न्यायालय जबलपुर की जज माया विश्वालाल ने मामले में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक सुखदेव पांसे, भाजपा के जिला पंचायत सदस्य राजा पवार, तत्कालीन एसडीओपी डीएस साकल्ले कचरू सरपंच, सुरेश सरपंच, विजय डॉक्टर, संदीप साबले, उमेश डांगे सहित 16 लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया हत्या में शामिल होने के आधार पर सम्मन जारी करने के निर्देश दिए थे।

न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान बीते 18 साल में दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। शुक्रवार को मामले की भोपाल स्थित विशेष अदालत में हुई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता वीके सक्सेना और संजय रावत ने पैरवी की। फैसले के बाद दोनों नेताओं के समर्थकों ने इसे सत्य की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की।

फिल्मी अंदाज में फर्जी आयकर अधिकारियों की ठेकेदार के घर दबिश

50 तोला सोना और नकदी लेकर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश के धार जिले में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में खुद को आयकर अधिकारी बताकर एक ठेकेदार के घर दबिश दी और करीब 50 तोला सोना व लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना शुक्रवार सुबह बाग क्षेत्र के ब्राह्मण मोहल्ले में हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना बाग थाना क्षेत्र में एमपीईबी के ठेकेदार राजकुमार मालवीय के घर पर सुबह करीब 9:40 बजे हुई। उस समय घर में राजकुमार मालवीय, उनकी पत्नी कृष्णा मालवीय और घरेलू काम करने वाली महिला मौजूद थीं। इसी दौरान बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो से पांच लोग घर पहुंचे। इनमें दो लोग खाकी वर्दी में और तीन सिविल ड्रेस में थे।

बदमाशों ने घर में घुसते ही खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि उनके खिलाफ ब्लैक मनी की शिकायत मिली है। इसके बाद उन्होंने घर में

तलाशी शुरू कर दी। ठेकेदार के अनुसार आरोपियों ने अलमारी की चाबियां मांगी। पहले परिवार ने मना किया, लेकिन जांच के नाम पर दबाव बनाने के बाद चाबियां दे दी गईं। अलमारी खोलते ही बदमाशों ने करीब 50 तोला सोने के जेवरात, ढाई से तीन लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिया और करीब 15-20 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर कार से फरार हो गए।

सूचना मिलने पर कैलाश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी एक मोबाइल फोन रास्ते में फेंक गए, जिसकी लोकेशन घटबोरी रोड के आसपास मिली है। मामले की जांच के लिए धार साइबर टीम को भी लगाया गया है।

जूडा स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम् कड़ीः शुक्ल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के निर्देशों के अनुपालन में संशोधित स्टाइपेंड संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, जिससे प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत और सेवाएं दे रहे जूनियर डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि जूनियर डॉक्टर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में वे न केवल अपना चिकित्सा प्रशिक्षण पूरा करते हैं, बल्कि मरीजों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी व जनोन्मुख बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर स्टाइपेंड में संशोधन किया गया है। इसके तहत पीजी प्रथम वर्ष का स्टाइपेंड 75,444 रुपये से बढ़ाकर 77,662 रुपये किया गया है। वहीं द्वितीय वर्ष का स्टाइपेंड 77,764 रुपये से बढ़ाकर 80,050 रुपये और तृतीय वर्ष का स्टाइपेंड 80,086 रुपये से बढ़ाकर 82,441 रुपये कर दिया गया है। इंटर्न का स्टाइपेंड 13,928 रुपये से बढ़ाकर 14,337 रुपये किया गया है। इसी तरह सुपर स्पेशिलिटी पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए 82,441 रुपये स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड 88,210 रुपये से बढ़ाकर 90,803 रुपये कर दिया गया है, जबकि जूनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड 63,324 रुपये निर्धारित किया गया है।

सड़क हादसे में मैनेजर की मौत पर

एक करोड़ 13 लाख 29 हजार 306 रूपए का मुआवजा पारित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी की एक अदालत ने सड़क एक्सीडेंट में निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की दर्दनाक मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 13 लाख 29 हजार 306 रूपए की क्षतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश सड़क दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी, ड्राइवर और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं।

मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एलबी यादव द्वारा जिला अदालत में प्रस्तुत किए गए क्लेम प्रकरण में जिला न्यायाधीश प्रहलाद सिंह कैमेथिया ने यह आदेश पारित किए हैं। राम आसरे शर्मा आरएम फास्फेट एण्ड केमिकल लिमिटेड कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। 5 अगस्त 2023 को रात करीब 11:45 बजे राम आसरे शर्मा कार चलाते हुए इंदौर से ब्यावरा की ओर जा रहा था। आराध्या रेस्टोरेंट के सामने सारंगपुर में ट्रक ड्राइवर ने रांग साइड से तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुए राम आसरे शर्मा की कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई जिससे घटना स्थल पर ही राम आसरे शर्मा की मृत्यु हो गई थी। थाना सारंगपुर ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर संबंधित ट्रक के ड्राइवर और स्वामी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

प्रकरण की सुनवाई के बाद पाया कि ट्रक ड्राइवर ने रांग साइड ट्रक को तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुए राम आसरे शर्मा की कार में जोरदार टक्कर मारी थी। जिससे गंभीर चोटों के कारण ही घटनास्थल पर ही राम आसरे शर्मा की दुखद मृत्यु हो गई थी। न्यायाधीश ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 13 लाख 29 हजार 306 रूपए की क्षतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश पारित किए हैं।

मुख्यमंत्री वैवाहिक कार्यक्रम में

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को अल्प प्रवास पर संभाग के शिवपुरी जिला मुख्यालय पहुँचे। उन्होंने शिवपुरी में नक्षत्र गार्डन पहुंचकर विधायक देवेंद्र जैन के पुत्र सक्षम जैन और वधू आरजू को आशीर्वाद प्रदान किया। नवविवाहित दंपति को वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ थे।

रियल स्टेट कारोबारी भाईयों से 55 लाख की लूट करने वाले गिरफ्त में

भोपालः श्यामला हिल्स इलाके की स्मार्ट रोड पर रियल स्टेट का कारोबार करने वाले वाले भाइयों से 55 लाख रुपए की लूट करने वाले आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूत्रो का कहना है कि गिरोह से की जप्ती होते ही पुलिस मामले का खुलासा करने की तैयारी में है। भोपाल के रहने वाले छह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। लूट करने के बाद बदमाश भोपाल से मुंबई भाग गए थे। गुजरात के मेहसाणा निवासी तारक बरोठे (27) अपने भाई के साथ स्कूटर के साथ हनुमानगंज इलाके से चुनाभट्टी स्थित घर लौट रहे थे। रंग पंचमी की रात वह घोड़ा नक्कास इलाके से 55 लाख 50 हजार रुपये का कलेक्शन लेकर जा रहे थे। रात करीब साढ़े नौ बजे दोनों भाई स्मार्ट सिटी रोड स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र के पास पहुंचे, तभी दो बाइक पर सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और चाकू अड़ाकर रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग निकले, पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया था। घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए इसके बाद आरोपियों की पहचान हो गई। पुलिस की 10 टीमें उनकी तलाश में लगी हुई थीं। सूत्रो का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन बदमाशों को पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को मुंबई से दबोचा है, जबकि चार बदमाशों को भोपाल से हिरासत में लिया गया है। पुलिस लूटी गई रकम के लिए उनसे पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में पीरगेट क्षेत्र व खानू गांव के दो बदमाश शामिल हैं।

उज्जैन में पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः उज्जैन में विक्रमोत्सव-2026 के तहत कालिदास अकादमी के अभिरंग सभागार में शुक्रवार से पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एंशिएंट स्प्लेंडर (प्राचीन वैभव का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव)' का आयोजन शुरू हुआ। यह महोत्सव 17 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा।

महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ एवं मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों की सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हिंदी फीचर फिल्में, अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में, वृत्तचित्र, विदेशी फीचर फिल्में और चयनित सबमिशन फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा।

इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में रूस, फ्रांस, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मॉरीशस, घाना, स्पेन, यूके, जर्मनी, यूएस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, नाइजेरिया, वेनेजुएला, क्यूबा सहित 25 से अधिक देश शामिल हैं।

हिंदी, भारतीय एवं वैश्विक भाषाओं में 25 से अधिक देशों की पौराणिक फिल्में प्रदर्शित

पहले दिन 13 मार्च को हिंदी पौराणिक फिल्में जैसे जय महादेव, भारत मिलाप, वामन अवतार और राजा हरिश्चंद्र दिखाई गईं। इसके साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में और उज्जैन के 84 महादेव, वियतनाम के म्यसोन शिव मंदिर और सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गईं। विदेशी फीचर फिल्में और सबमिशन फिल्मों जैसे 'मैं भारत' और 'डिजिटल फास्टिंग' का भी प्रदर्शन हुआ।

14 मार्च को महाभारत, महा विष्णु, हर हर महादेव, राम राज्य जैसी हिंदी फिल्मों के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंग, वाट फोउ (लाओस) जैसी डॉक्यूमेंट्री और मिसफिट एरे ओ ते हसेस (इक्वाडोर), द हाईलैंड वैनगार्ड (इंडोनेशिया) जैसी विदेशी फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी।

राज्यस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार घोषित

विश्व उपभोक्ता दिवस पर किया जाएगा पुरस्कृत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः राज्यस्तरीय पुरस्कार चयन समिति की बैठक में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों तथा विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कारों के लिए किया गया है।

वर्ष 2025 के लिए यह चयन उपभोक्ता संरक्षण और जनजागरूकता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के आधार पर किया गया है। संस्थागत श्रेणी में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन, कटनी को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। संस्था को 1,11,000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी श्रेणी में म.प्र. प्राकृतिक चिकित्सालय तथा महाविद्यालय समिति, ग्वालियर को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। संस्था को 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय पोस्टर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रभावी संदेश प्रस्तुत किए। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माधवनगर, जिला उज्जैन की कक्षा 11वीं की छात्रा अश्विता पोरवाल को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें 6000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

शासकीय प्राथमिक विद्यालय, 19 नया बसेरा, जिला इंदौर की कक्षा 4वीं की छात्रा रानी चौधरी को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें 4000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। शासकीय पीएमश्री एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला छतरपुर की कक्षा 9वीं की छात्रा खुशबु रेवकर को तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें 2000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

इसी क्रम में चित्र प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को सराहा गया। शासकीय पीएमश्री एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला छतरपुर की कक्षा 10वीं की छात्रा शुभी सेन को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें 6000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

शा. पीएमश्री एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला छतरपुर की कक्षा 9वीं की छात्रा तपस्या कुशवाहा को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें 4000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदनावर, जिला धार की कक्षा 11वीं की छात्रा पलक सिसोदिया को तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें 2000 रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

चयनित संस्थाओं और विद्यार्थियों को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर 15 मार्च को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उपभोक्ता संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने और विद्यार्थियों को इस विषय से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

किसानों के खातों में 18640 करोड की सम्मान निधि हस्तांतरित

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच : कंषाना

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुवाहाटी (असम) से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को 18 हजार 640 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना की उपस्थिति में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कृषि उपज मंडी परिसर करोंद में सुना गया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। श्री कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। किसानों को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। सशक्त एवं आत्मनिर्भर किसान बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि सामाजिक सुरक्षा का माध्यम है। यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में सचिव कृषि निशांत बरवडे, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड कुमार पुरुषोत्तम मौजूद थे।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com